न्यायालय जिला कलक्टर, बाड़मेर

पीठासीन अधिकारी : टीना डाबी, आई0ए0एस0

राजस्व अपील सं. 44 / 2025

अपीलांट –

विस्मला पुत्री फुसों उर्फ फूसेखां जाति तेली मुसलमान निवासी आदर्श चुली तहसील व जिला बाड़मेर

बनाम

रेस्पोडेंट्स –

1. उपतहसीलदार विशाला
2. तहसीलदार बाड़मेर
3. अब्दुल हकीम पुत्र गुलाब
4. जाकीर हुसैन पुत्र गुलाब
5. मुख्तयार अहमद पुत्र गुलाब
6. बरकत पुत्र रहमतउल्लाह
7. जमाल पुत्र रहमतउल्लाह
8. जनी पत्नि रहमतउल्लाह
9. सदीक पुत्र गफुर
10. रफीक पुत्र हनीफ
11. हबीब सायर पुत्र हनीफ जाति तेली मुसलमान निवासी आदर्श चुली तहसील व जिला बाड़मेर

राजस्व अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम विरूद्ध नामान्तरकरण सं. 10 दिनांक 25.07.2025 जो उपतहसीलदार बिशाला द्वारा पारित किया गया।

उपस्थिति :–

1. श्री उगराराम सहारण, अधिवक्ता अपीलांट की ओर से उपस्थित।
2. श्री पिताम्बरदास परमार, अधिवक्ता रेस्पो. संख्या 5 की ओर से उपस्थित।
3. श्री शैतानसिंह राठोड़, अधिवक्ता रेस्पोडेंट सं. 3, 4 एवं 6 से 9 की ओर से उपस्थित।
4. अवशेष रेस्पों बावजूद सूचना अनुपस्थित।
5. रेस्पों संख्या 01 एवं 02 प्रर्फोमा पक्षकार।

न्यायालय जिला कलक्टर बाड़मेर (राजस्थान)

Signature Not Verified

Digitally signed by Tina Dabi
Date: 2026.03.07 12:18:10 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलक्टर, बाड़मेर

निर्णय

दिनांक : 11.02.2026

1. अपीलांट की ओर से प्रस्तुत अपील धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम के तहत ग्राम आदर्श चुली पटवार मण्डल चुली तहसील बाड़मेर के नामान्तरकरण सं. 10 पर उपतहसीलदार विशाला द्वारा पारित स्वीकृति आदेश दिनांक 25.07.2025 के विरूद्ध दिनांक 26.08.2025 को इस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की गई हैं।

2. प्रस्तुत अपील के संक्षिप्त तथ्य यह है कि मौजा आदर्श चुली के खसरा संख्या 116 रकबा 0–0890 हैक्टेयर, खसरा नंबर 117 रकबा 23–2613 हैक्टेयर भूमि अपीलांट एवं रेस्पों संख्या 3 से 11 के नाम खातेदारी में दर्ज थी। वादग्रस्त भूमि के संबंध में एक राजस्व वाद संख्या 447/2003 अनवान सदीक वगैरा बनाम अब्दुल हकीम वगैरा पेश किया गया था जिस वाद का निर्णय एवं डिक्री दिनांक 28.10.2003 को पारित किया गया था। इसके पश्चात उक्त निर्णय एवं डिक्री दिनांक 28.10.2003 के अनुसार 22 वर्ष तक किसी प्रकार का नामान्तरकरण स्वीकृत नहीं किया गया तथा वर्तमान हल्का पटवारी द्वारा दिनांक 17.07.2025 को उक्त निर्णय एवं डिक्री दिनांक 28.10.2003 के अनुसार नामान्तरकरण संख्या 328 खोला गया तथा दिनांक 21.07.2025 को उतरदाता संख्या 01 द्वारा अपीलांट को किसी प्रकार की सूचना एवं समुचित सुनवाई अवसर दिये बिना ही नामान्तरकरण स्वीकृत कर दिया गया है। उक्त नामान्तरकरण स्वीकृति आदेश दिनांक 25.07.2025 के विरूद्ध यह अपील इस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की गई हैं।

3. अपीलांट की ओर से प्रस्तुत अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पोडेंट्स जरिये नोटिस तलब किया गया एवं अपीलाधीन अभिलेख तलब कर अवलोकन किया गया।

4. हमने उभयपक्ष अधिवक्तागण की बहस सुनी। अधिवक्ता अपीलांट का कथन है कि मौजा आदर्श चुली के खसरा संख्या 116 रकबा 0–0890 हैक्टेयर, खसरा नंबर 117 रकबा 23–2613 हैक्टेयर भूमि अपीलांट एवं रेस्पों संख्या 3 से 11 के नाम खातेदारी में दर्ज थी। वादग्रस्त भूमि के संबंध में एक राजस्व वाद संख्या

न्यायालय जिला कलक्टर बाड़मेर (राजस्थान) सत्यमेव जयते

Signature Not Verified
Digitally signed by Tina Dabi
Date: 2026.03.07 12:18:10 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलक्टर, बाड़मेर

447/2003 अनवान सदीक वगैरा बनाम अब्दुल हकीम वगैरा पेश किया गया था जिस वाद का निर्णय एवं डिक्री दिनांक 28.10.2003 को पारित किया गया था। इसके पश्चात उक्त निर्णय एवं डिक्री दिनांक 28.10.2003 के अनुसार 22 वर्ष तक किसी प्रकार का नामान्तरकरण स्वीकृत नहीं किया गया तथा वर्तमान हल्का पटवारी द्वारा दिनांक 17.07.2025 को उक्त निर्णय एवं डिक्री दिनांक 28.10.2003 के अनुसार नामान्तरकरण संख्या 328 खोला गया तथा आर आई से जांच नहीं करवाकर दिनांक 21.07.2025 को उतरदाता संख्या 01 द्वारा अपीलांट को किसी प्रकार की सूचना एवं समुचित सुनवाई अवसर दिये बिना ही नामान्तरकरण स्वीकृत कर दिया गया है। तत्पश्चात दिनांक 23.07.2025 को हलका पटवारी द्वारा उपतहसीलदार विशाला शुद्धिपत्र आदेश क्रमांक/भू.अ./2025/194 दिनांक 23.07.2025 के आधार पर नामान्तरकरण संख्या 10 दिनांक 23.07.2025 को खोला गया तथा दिनांक 25.07.2025 को उतरदाता संख्या 01 से स्वीकृत करवा दिया। इस प्रकार मात्र तीन दिन की अवधि में दो नामान्तरकरण पारित कर राजस्व रेकर्ड में बार–बार रद्दोबदल किया गया है, जो निरस्त योग्य हैं।

5. अधिवक्ता अपीलांट का कथन है कि किसी भी न्यायालय के निर्णय डिक्री के अनुसार राजस्व रेकर्ड में 12 वर्ष तक किसी प्रकार की नामान्तरकरण स्वीकृत नहीं किया जाता है तो उसके बाद विधि अनुसार उक्त निर्णय एवं डिक्री स्वयमेव ही निरस्त समझी जाती है तथा 12 वर्ष के बाद उक्त निर्णय एवं डिक्री के अनुसार कोई नामान्तरकरण स्वीकृत नहीं किया जा सकता है तथा हस्तगत प्रकरण में राजस्व वाद संख्या 447/2003 में दिनांक 28.10.2003 को पारित निर्णय एवं डिक्री के करीब 22 वर्ष बाद आलौच्य नामान्तरकरण स्वीकृत किया गया है जिस कारण उक्त नामान्तरकरण प्रारम्भ से शून्य एवं निष्प्रभावी होने अपास्त किये जाने योग्य है।

न्यायालय जिला कलक्टर
सत्यमेव जयते
बाड़मेर (राजस्थान)

6. रेस्पोडेंट सं. 5 के अधिवक्ता द्वारा प्रकट [illegible] न्यायालय सहायक कलक्टर (एसडीओ) बाड़मेर में राजस्व [illegible] अनवान सदीक वगैरा बनाम अब्दुल हकीम वगैरा मे [illegible] डिक्री दिनांक 28.10.2003 की अनुपालना में नामान्तरकरण भरा गया है, जि[illegible] किसी प्रकार की कोई त्रुटि नहीं

Signature Not Verified
Digitally signed by Tina Dabi
Date: 2026.03.07 12:18:10 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलक्टर, बाड़मेर

होने से प्रस्तुत अपील खारिज योग्य हैं। अधिवक्ता रेस्पो. का कथन है कि राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 सीपीसी जैसे कठोर प्रावधानो को ग्रामीण परिवेश के अनपढ़ व्यक्तियों पर लागू नही किये जा सकते। इसके साथ ही रेस्पो द्वारा न्यायालय सहायक कलक्टर (एसडीओ) बाड़मेर द्वारा पारित डिक्री की अनुपालना में नामान्तरकरण भरा गया है। इस प्रकार सम्पूर्ण प्रक्रिया विधिसम्मत की गई है इसलिए अपीलांट की यह सारहीन होने से खारिज योग्य है।

7. हमने अधिवक्ता अपीलांट एवं रेस्पोडेंट्स के द्वारा प्रकट तथ्यों पर मनन किया एवं पत्रावली पर उपलब्ध रेकर्ड का अद्योपान्त अवलोकन किया, जिससे यह पाया जाता है कि मौजा आदर्श चुली के खसरा संख्या 116 रकबा 0–0890 हैक्टेयर, खसरा नंबर 117 रकबा 23–2613 हैक्टेयर भूमि अपीलांट एवं रेस्पों संख्या 3 से 11 के नाम खातेदारी में दर्ज थी। वादग्रस्त भूमि के संबंध में एक राजस्व वाद संख्या 447 / 2003 अनवान सदीक वगैरा बनाम अब्दुल हकीम वगैरा पेश किया गया था जिस वाद का निर्णय एवं डिक्री दिनांक 28.10.2003 को पारित किया गया था। इसके पश्चात उक्त निर्णय एवं डिक्री दिनांक 28.10.2003 के अनुसार 22 वर्ष तक किसी प्रकार का नामान्तरकरण स्वीकृत नहीं किया गया तथा वर्तमान हल्का पटवारी द्वारा दिनांक 17.07.2025 को उक्त निर्णय एवं डिक्री दिनांक 28.10.2003 के अनुसार नामान्तरकरण संख्या 328 खोला गया तथा दिनांक 21.07.2025 को उतरदाता संख्या 01 द्वारा अपीलांट को किसी प्रकार की सूचना एवं समुचित सुनवाई अवसर दिये बिना ही नामान्तरकरण स्वीकृत कर दिया गया है। उक्त नामान्तरकरण स्वीकृति आदेश दिनांक 25.07.2025 के विरूद्ध यह अपील इस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की गई हैं। अधिवक्ता अपीलांट का कथन है कि किसी भी न्यायालय के निर्णय डिक्री के अनुसार राजस्व रेकर्ड में 12 वर्ष तक किसी प्रकार की नामान्तरकरण स्वीकृत नहीं किया जाता है तो उसके बाद विधि अनुसार उक्त निर्णय एवं डिक्री स्वयमेव ही [illegible] मानी जाती है तथा 12 वर्ष के बाद उक्त निर्णय एवं डिक्री के [illegible] नामान्तरकरण स्वीकृत नहीं किया जा सकता है तथा हस्तगत [illegible] संख्या 447 / 2003 में दिनांक 28.10.2003 को पारित निर्णय एवं डिक्री [illegible] करीब 22 वर्ष बाद आलौच्य

Signature Not Verified
Digitally signed by Tina Dabi
Date: 2026.03.07 12:18:10 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलक्टर, बाड़मेर

नामान्तरकरण स्वीकृत किया गया है जिस कारण उक्त नामान्तरकरण प्रारम्भ से शून्य एवं निष्प्रभावी होने अपास्त किये जाने योग्य है। अधिवक्ता रेस्पों का कथन है कि न्यायालय सहायक कलक्टर (एसडीओ) बाड़मेर में राजस्व वाद संख्या 447/2003 अनवान सदीक वगैरा बनाम अब्दुल हकीम वगैरा मे पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 28.10.2003 की अनुपालना में नामान्तरकरण भरा गया है, जिसमे किसी प्रकार की कोई त्रुटि नहीं होने से प्रस्तुत अपील खारिज योग्य हैं। हमने अधिवक्ता अपीलांट एवं रेस्पोडेंट्स के द्वारा प्रकट तथ्यों पर मनन किया एवं पत्रावली पर उपलब्ध रेकर्ड का अद्योपान्त अवलोकन किया, जिससे यह पाया जाता है कि हस्तगत प्रकरण में राजस्व वाद संख्या 447/2003 में दिनांक 28.10.2003 को पारित निर्णय एवं डिक्री के करीब 22 वर्ष बाद आलौच्य नामान्तरकरण दिनांक 21.07.2025 को स्वीकृत किया गया है। तत्पश्चात दिनांक 23.07.2025 को हल्का पटवारी द्वारा उपतहसीलदार विशाला शुद्धिपत्र आदेश क्रमांक/भू.अ./2025/194 दिनांक 23.07.2025 के आधार पर नामान्तरकरण संख्या 10 दिनांक 23.07.2025 को खोला गया तथा दिनांक 25.07.2025 को उतरदाता संख्या 01 द्वारा नामान्तरकरण आदेश पारित किया गया जबकि उक्त निर्णय एवं डिक्री के क्रियान्वयन की मयाद समाप्त हो चुकी थी। ऐसे में आलौच्य डिक्री की पालना में जो अपीलाधीन नामान्तरकरण पारित किया गया है वह विधि अनुसार नहीं होने से बहाल रखा जाना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है।

8. अतः उपर्युक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों पर विवेचन एवं विश्लेषण के परिणामस्वरूप अपीलांट द्वारा प्रस्तुत यह अपील स्वीकार की जाकर उप तहसीलदार विशाला द्वारा स्वीकृत नामान्तरकरण सं. 10 दिनांक 25.07.2025 को अपास्त किया जाता हैं।

9. निर्णय आज दिनांक 11.02.2026 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

न्यायालय जिला कलक्टर बाड़मेर (राजस्थान) सत्यमेव जयते

Signature Not Verified

Digitally signed by Tina Dabi
Date: 2026.03.07 12:18:10 IST
Reason: SelfAttested

(टीना डाबी)
जिला कलक्टर, बाड़मेर
जिला कलक्टर, बाड़मेर